न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1807/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. गंगा पुत्री लादू जाति माली
2. कमला पुत्री लादू जाति माली
3. लाली पुत्री लादू जाति माली
   निवासीगण घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वादीगण

बनाम

1. गोकल पुत्र अर्जुन
2. सम्पत पुत्र अर्जुन
3. रामंकुवार पुत्र अर्जुन
4. भूखलेख पुत्र अर्जुन
5. तिलका पुत्री अर्जुन
6. संन्जू पुत्री अर्जुन
   तमाम जाति माली निवासीगण नाडी तहसील सावर जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः– 10.05.2018**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प घटियाली में पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा **53,188,209**_राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नाडी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–2072 में खाता स. 918 में वर्णित भूमि आराजी के खाता स. 128 खसरा नम्बर 898 रकबा 0.32 , ख.न. 899 रकबा 0. 42 खसरानम्बर 1015 रकबा 0.47 खसरानम्बर 1465 रकबा 0.29 ,खसरा नम्बर 1472 रकबा 0.12 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.62 है. दर्ज नामान्तकरण है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण का 3/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा है तथा वादी गण एवं प्रतिवादीगण वर्तमान में वाद वर्णित आरजीयात पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। तथा वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य आराजीयात का मौके पर आपसी सहमति से मौखिक रूप से बंटवारा हो रखा है। तथा वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से अपने – अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हे। यह वाद वास्ते आराजीयात का बंटवारा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। वाद स्वीकार किया जाकर आराजीयात का विधिवत विभाजन (बंटवारा)वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा वाद ग्रस्त आराजीयात का विधिवत विभाजना चाहा गया है।वाद स्वीकार फरवाया जावें।

वादी का वाद दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली में प्रतिवादी स. 1 लगायत 6 के सम्मन तामील होने के बावजूद भी बार– बार आवाजे लगाने पर भी हाजिर नही हुआ । प्रतिवादी 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादीगण 2 से 6 में तलबी नहीं हुयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नाडी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–2072 में खाता स. 918 में वर्णित भूमि आराजी के खाता स. 128 खसरा नम्बर 898 रकबा 0.32 , ख.न. 899 रकबा 0.42 खसरानम्बर 1015 रकबा 0.47 खसरानम्बर 1465 रकबा 0.29 ,खसरा नम्बर 1472 रकबा 0.12 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.62 है. दर्ज नामान्तकरण 27 दिनांक 29.6.2017से जर्ये डिक्री से नामान्तकरण किया गया।

वादी के स्वयं के नाम दर्ज खातेदारी होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस बनता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सावर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम नाडी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–2072 में खाता स. 918 में वर्णित भूमि आराजी के खाता स. 128 खसरा नम्बर 898 रकबा 0.32 , ख.न. 899 रकबा 0.42 खसरानम्बर 1015 रकबा 0.47 खसरानम्बर 1465 रकबा 0.29 , खसरा नम्बर 1472 रकबा 0.12 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.62 है. में वादी/प्रतिवादीगण के दोनो पक्षकारान के मौके अनुसार एवं कब्जे अनुसार विधिअनरूप बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी